भारतीय शिक्षा के चर्चित प्रसंग

डा. अरविंद फाटक

आजादी के पश्चात इन पचास वर्षों में शिक्षा के क्षेत्र में निश्चित ही प्रगति हुई है। देश में उच्च माध्यमिक विद्यालयों की संख्या लगभग 12,000 तक पहुंच गई है। माध्यमिक विद्यालय लगभग 53 हजार हैं एवं प्राथमिक विद्यालय लगभग साढ़े पांच लाख हैं। विश्वविद्यालयों की संख्या करीब 200 से ऊपर है, डीम्ड विश्वविद्यालयों, कृषि विश्वविद्यालयों की संख्या इसके अतिरिक्त है और लगभग 8000 महाविद्यालय हैं। स्कूलों में I से XII तक पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या 15 करोड़ से ऊपर है और उच्च शिक्षा संस्थाओं में 60 लाख के करीब विद्यार्थी पढ़ रहे हैं। देश में मुक्त शिक्षा की सुविधाओं का जाल भी फैल गया है जिसके माध्यम से कई व्यक्ति उच्च शिक्षा एवं माध्यमिक स्तर की शिक्षा का लाभ उठा रहे हैं। आज अधिकांश बच्चों को पैदल चल सकने योग्य दूरी पर कोई न कोई प्राथमिक शिक्षा की सुविधा उपलब्ध है। और यदि हमारी जनसंख्या आजादी के समय जितनी थी उतनी ही रहती तो हम प्राथमिक शिक्षा के

सार्वभौमीकरण का लक्ष्य प्राप्त कर चुके होते। हमारी शिक्षा व्यवस्था से ही देश के उच्च कोटि के वैज्ञानिक निकले हैं जिन्होंने देश को वैज्ञानिक, कृषि एवं टैक्नोलॉजी के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इतना सब होते हुए भी अभी बहुत कुछ किया जाना है। कई ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें सुधार की आवश्यकता है। ऐसे चर्चित प्रसंगों का उल्लेख इस लेख में करने का प्रयास किया जा रहा है।

सबके लिए शिक्षा

उपरोक्त अनुच्छेद में वर्णित शिक्षा की सुविधाओं में प्रसार के बावजूद भी अभी भी 'सबके लिए शिक्षा' का लक्ष्य हासिल किया जाना है। आज भी कई बच्चे शिक्षा के दायरे से बाहर हैं। इनमें ग्रामीण इलाके के बच्चे, गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के बच्चे, फुटपाथों पर रहने वाले निराश्रित बच्चे, बाल श्रमिक आदि शामिल हैं। इन्हें शिक्षित करने के विशेष प्रयास किए जाने चाहिए। केवल परंपरागत विद्यालयों पर निर्भर रहकर 'सबके लिए शिक्षा' का लक्ष्य प्राप्त नहीं किया जा सकता। इसके लिए शिक्षा के विभिन्न विकल्पों को अपनाना होगा, जैसे श्रमिक विद्यालय, चल विद्यालय, प्रहर पाठशालाएं, खुले विद्यालय आदि। इस कार्य में स्वयंसेवी संस्थाएं महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं। यह कार्य केवल सरकार के बस का नहीं है।

शिक्षा की गुणवत्ता

सबके लिए शिक्षा का ध्येय तभी सार्थक माना जा सकता है जब सबके लिए दी जाने वाली शिक्षा की कुछ न्यूनतम गुणवत्ता सुनिश्चित की जा सके। आज देश में सरकारी और निजी क्षेत्र के विद्यालयों की साधन सुविधाओं में जमीन आसमान का अंतर है। एक ओर जहां कुछ सरकारी विद्यालयों में छात्रों को बैठने के लिए टाटपट्टियां भी नहीं है वहीं दूसरी ओर निजी क्षेत्र के कुछ विद्यालयों के पास सभी आधुनिक साधन सुविधाएं उपलब्ध हैं। यह विषमता प्रजातांत्रिक व्यवस्था की पोषक नहीं है। इसमें अवसरों की समानता कहां है। धनाढ्य परिवार के बच्चों के लिए एक प्रकार के स्कूल व गरीब बच्चों के लिए साधन सुविधा विहीन स्कूल यह खाई बहुत दिन तक बर्दाश्त नहीं की जा सकती। सरकार को चाहिए कि अच्छी शिक्षा आम नागरिक को उपलब्ध हो सके इसके लिए शिक्षा पर किया जाने वाला व्यय बढ़ाना होगा। आज भी हम राष्ट्रीय आय का 3 प्रतिशत ही शिक्षा पर खर्च कर रहे हैं जबकि अनेक कमीशनों एवं समितियों ने इसे 6 प्रतिशत किये जाने की अनुशंसा की है। आज भी हम कुछ विकासशील देशों से भी कम खर्च शिक्षा पर कर रहे हैं जब तक शिक्षा को प्राथमिकता नहीं दी जाती देश के विकास की गति तेज नहीं होगी।

शिक्षा और सामाजिक परिवर्तन

ऐसा माना जाता है कि शिक्षा सामाजिक परिवर्तन का एक सशक्त माध्यम है। परंतु आजादी के बाद हमने इस सशक्त माध्यम का उपयोग ठीक ढंग से नहीं किया। जाति, प्रांत और धर्मों में बंटे समाज को एक करने का प्रयास शिक्षा के माध्यम से नहीं किया जा सका। थोड़ा बहुत यदि हुआ भी तो उसे राजनीतिज्ञों ने नाकाम कर दिया क्योंकि समाज को बांटे रखना वोट की राजनीति के लिए आवश्यक था। फलस्वरूप

ये भेद और प्रखर हो उठे और समाज की दरारें और बढ़ गईं। आज का शिक्षित वर्ग अधिक असहिष्णु, उग्र होता जा रहा है। हम अधिकारों के प्रति तो बहुत जागरुक हो गए हैं पर अपने कर्तव्यों के निर्वाह के प्रति उदासीन हैं। इन सबके फलस्वरूप भारतीय समाज अनेक भयावह परिस्थितियों में से गुजर रहा है। कहीं न कहीं हमारी शिक्षा पद्धति में कुछ न कुछ कमी रही है। शिक्षा का लक्ष्य केवल ज्ञान एवं सूचनाओं का प्रसार ही नहीं होना चाहिए। आज आवश्यकता है ऐसी शिक्षा की जो एक अच्छा मानव निर्माण कर सके। ऐसा मानव जिसमें जीवन के वांछित मूल्य प्रतिस्थापित हों। जो सहिष्णु हो, उदार हो, वैज्ञानिक मानसिकता लिए हो, जो अपने उत्तरदायित्वों के प्रति जागरुक हो। शिक्षा के पुनर्निर्माण में इस दिशा में गहराई से सोचा जाना चाहिए।

वैश्वीकरण की चुनौतियां

आज वैश्वीकरण (Globalisation) की प्रक्रिया बड़ी तीव्र गति से आगे बढ़ रही है। शिक्षा की योजना बनाते समय इस प्रक्रिया को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। दुनिया इतनी सिकुड़ गई है कि आज एक देश में घटित किसी घटना का प्रभाव उस देश की सीमाओं तक ही सीमित नहीं रहता। अतः हमें कुछ समस्याओं को केवल अपने देश के दायरे में ही न सोचकर पूरे विश्व को एक कुटुंब मानकर सोचना होगा। पर्यावरण संरक्षण, मानव अधिकार, शांतिपूर्ण सहअस्तित्व, सर्वस्वीकृत मानव मूल्य कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जिनका समावेश शिक्षा में विश्व को एक कुटुंब मानकर करना होगा। वैश्वीकरण के संदर्भ में इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र जैसे विषयों के प्रस्तुतीकरण पर भी नए सिरे से विचार करना होगा।

स्वायत्तता बनाम जवाबदेही

विगत कुछ वर्षों में विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता पर कुठाराघात बढ़ते जा रहे हैं। सरकार द्वारा विश्वविद्यालयों के निर्णयों को नियंत्रित करने की प्रवृत्ति बढ़ रही है। हाल ही में राजस्थान सरकार द्वारा विश्वविद्यालयों को मेमोरेंडम आफ अंडरस्टेंडिंग पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य किया जाना इसका ताजा उदाहरण है। इस निर्णय के द्वारा विश्वविद्यालय के बोर्ड आफ मेनेजमेंट के निर्णयों को राज्य सरकार की स्वीकृति के बिना लागू नहीं किया जा सकेगा। जो विश्वविद्यालय हस्ताक्षर नहीं करेंगे उन्हें अनुदान नहीं मिलेगा। यह सरकार द्वारा विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता पर कुठाराघात है और इसे स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। पर यह भी देखना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। कहीं विश्वविद्यालय तो अपना उत्तरदायित्व ठीक से निभाने में असफल नहीं हो रहे हैं। विश्वविद्यालयों से सम्बद्ध कुछ व्यक्तियों का मानना है कि राज्य सरकार के इस निर्णय के पीछे राजस्थान विश्वविद्यालय का कुप्रशासन, उसमें हुई अनियमितताएं एवं भ्रष्टाचार जिम्मेदार है। ऐसी स्थितियां कुछ अन्य विश्वविद्यालयों में भी हो सकती हैं। उन दोषों का निवारण किया जाना चाहिए। दोषियों को दंडित किया जाना चाहिए। पर विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता समाप्त करना कोई अच्छा विकल्प नहीं है। इससे शैक्षिक स्तर प्रभावित होगा। विश्वविद्यालयों को और उनमें कार्यरत शिक्षकों को अकादमिक स्वतंत्रता होनी चाहिए। तभी

वे निर्भीक होकर सत्य का प्रतिपादन कर सकेंगे। पर इस स्वायत्तता एवं स्वतंत्रता में समाज के प्रति जिम्मेदारी एवं जवाबदेही निहित है। इस स्वतंत्रता एवं स्वायत्तता का अर्थ यह कभी नहीं निकाला जाना चाहिए कि वर्ष भर में 180 दिनों से भी कम पढ़ाई हो, कक्षाएं नियमित रूप से न ली जाएं, ट्यूशन के माध्यम से विद्यार्थियों का शोषण हो। जवाबदेही के साथ स्वायत्तता ही शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने में सफल हो सकती है।

ज्ञान का विस्फोट

ज्ञान का विस्फोट शिक्षा की एक बहुत बड़ी चुनौती है। कहते हैं कि दस वर्षों से भी कम अवधि में ज्ञान दुगना हो जाता है और ज्ञान के विस्तार की यह रफ्तार दिनों दिन बढ़ती जा रही है। इस तीव्र गति से बढ़ते ज्ञान को विद्यार्थियों तक कैसे पहुंचाया जाय यह एक समस्या है। इसके लिए हमें हमारी शिक्षण पद्धति में परिवर्तन करना होगा। विद्यार्थियों को लेक्चर के माध्यम से नया ज्ञान लिखवाते रहने से समस्या का हल नहीं होगा। विद्यार्थियों को नये ज्ञान तक पहुंचने के तरीकों को सिखाना होगा (Access to Knowlege)। उन्हें आत्मनिर्भर बनाना होगा, स्वयं अपने प्रयासों से सीखने के कौशल (Learning to Learn) विद्यार्थियों में विकसित करने होंगे। तभी ज्ञान के विस्फोट का सामना हम कर पायेंगे।

शिक्षा में पहली बार आने वाली पीढ़ी (First Generation Learners)

आजादी से पूर्व शिक्षा अभिजात्य वर्ग तक ही सीमित थी। आज हर नागरिक को शिक्षा पाने का हक है, यही नहीं बल्कि सरकार का यह उत्तरदायित्व है कि वह हर पढ़ने के इच्छुक व्यक्ति को शिक्षा की सुविधा उपलब्ध कराए। इस बदले हुए परिप्रेक्ष्य में आज शिक्षण संस्थाओं में काफी बड़ी तादाद में ऐसे विद्यार्थी आ रहे हैं जो उनके परिवार में शिक्षा प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति हैं। ऐसे विद्यार्थियों की कुछ विशेष कठिनाइयां हो सकती हैं। उनके घर पर शिक्षा का वातावरण नहीं होने से उन्हें पढ़ाई में आने वाली कठिनाइयों को दूर करने हेतु कोई मार्गदर्शन नहीं मिल पाता। उन्हें सारे निर्णय स्वयं ही लेने पड़ते हैं। ऐसे विद्यार्थियों के लिए शिक्षण संस्थाओं में परामर्श की विशेष व्यवस्था की जाए, परामर्श केंद्र (Counselling Centres) खोले जाएं, उनकी तरफ विशेष ध्यान दिया जाए तो इन विद्यार्थियों को शिक्षा प्राप्त करने में कम कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा।

पिछड़े वर्गों के छात्रों को सहायता

वे परिवार जो पीढ़ियों से शिक्षा की सुविधाओं से वंचित रहे हैं उनकी शिक्षा की विशेष व्यवस्था करना उन्हें आर्थिक रूप से सहायता करना सरकार व समाज का कर्तव्य है। आजादी के बाद सरकार द्वारा इस दिशा में कई प्रयास भी किए गए हैं। अनेक योजनाएं प्रारंभ की गई हैं जिनमें आश्रम छात्रावास, नवोदय विद्यालय, आवासीय विद्यालयों में पढ़ने हेतु छात्रवृत्तियां एवं अनेक अन्य योजनाएं शामिल हैं। पर कई बार इन योजनाओं की जानकारी उन लोगों तक नहीं पहुंच पाती जिनको इन योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए। परिणाम स्वरूप इन योजनाओं का लाभ वे ही परिवार उठा लेते हैं जिनमें पहले ही शिक्षा का प्रसार हो चुका है या जो तुलनात्मक दृष्टि से संपन्न हैं। गरीबतम परिवार के बच्चे, दूरदराज गांवों में रहने वाले परिवारों

के बच्चे अभी भी इन योजनाओं के घेरे में नहीं आ पाये हैं। इसके लिए विशेष प्रचार अभियान चलाने की आवश्यकता है। साथ ही इन योजनाओं के क्रियान्वयन का भी समय समय पर मूल्यांकन होना चाहिए। कई बार बहुत अच्छी योजना भी गलत क्रियान्वयन से वांछित परिणाम देने में असफल हो जाती है। इसलिए इन योजनाओं के क्रियान्वयन पर निगरानी (Monitoring) रखना आवश्यक है।

शिक्षा का व्यापारीकरण

शिक्षा व्यवस्था में स्वयंसेवी संस्थाओं का महत्वपूर्ण स्थान केवल इसीलिए नहीं है कि अकेली सरकार के लिए सभी की शिक्षा का उत्तरदायित्व संभाल पाना असंभव है बल्कि इसलिए भी है कि स्वयंसेवी संस्थाएं शिक्षा में प्रयोग करें, नवाचार करें, नई सोच दें। देश में ऐसी कुछ संस्थाएं हैं भी जिनका देश की शिक्षा व्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। ऐसी संस्थाओं की पहचान की जानी चाहिए, उन्हें प्रोत्साहित किया जाना चाहिए व उन्हें स्वायत्तता भी दी जानी चाहिए। उन्हें भी सरकारी ढर्रे में बांधने का प्रयास जैसा कि आजकल देखने में आता है, वांछनीय नहीं है। ऐसी संस्थाएं धनाभाव के कारण अपने अच्छे काम में कठिनाइयां अनुभव न करें यह देखना सरकार और समाज का कर्तव्य है।

पर साथ ही उन संस्थाओं पर अंकुश भी लगाया जाना चाहिए जिनका उद्देश्य केवल धन इकट्ठा करना है। आजकल अभिभावकों में बच्चों को अंग्रेजी माध्यम के विद्यालयों में पढ़ाने का क्रेज हो गया है। कुछ संस्थाएं अभिभावकों की इस मानसिकता को भुनाकर अभिभावकों से मनमाना पैसा वसूल करती हैं। प्रवेश के लिए कंपीटेशन फी, अनेक अनावश्यक मदों में मनमानी फी वसूल कर छात्रों एवं अभिभावकों का शोषण आज आम बात हो गई है। इस पर रोक लगनी चाहिए।

शिक्षा की गुणवत्ता को कायम रखते हुए कम खर्चीला कैसे बनाया जा सकता है इस पर शोध होने चाहिए। यदि हम अच्छी शिक्षा कम खर्च में सबके लिए उपलब्ध करवा पाते हैं तभी अच्छी शिक्षा का लाभ मिल सकेगा और इसका प्रभाव समाज में वर्ग असमानता दूर करने में और विकास की गति तीव्र करने में दिखाई देगा।

राष्ट्रीय स्तर पर माध्यमिक स्तर के पाठ्यक्रम के नये प्रारूप पर विचार चल रहा है। उसमें यदि उपरोक्त विषयों पर चर्चा की जाए एवं इन समस्याओं के निराकरण के मार्ग निकाले जाएं तो शायद भारतीय शिक्षा को नई दिशा मिल सकेगी और यदि अब भी पुराने वस्त्र में थेगली लगाकर नया बनाने का प्रयास किया गया तो समाज के सामने जो ज्वलंत समस्याएं हैं वे ज्यों की त्यों बनी रहेंगी और हो सकता है कि और विकराल रूप धारण कर ले।